UPBN040321292022

न्यायालय अपर सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–4, बदायूँ।

परिवाद संख्या–23410/22

सुयोग्य कुमार गुप्त बनाम मनोज कुमार सिंह

थाना–कोतवाली, जिला बदायूँ

दिनांकः– 08.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी व अधिवक्ता अनुपस्थित। परिवादी न तो स्वयं उपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादी बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० अंकित कराने के लिए अनुपस्थित है। परिवादी को न्यायालय में उपस्थित होकर बयान अंतर्गत धारा 200 दर्ज कराने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जा चुके हैं किन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है। न्यायालय के मतानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण को तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उक्त परिस्थिति में प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राखी भदौरिया)
सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–4, बदायूं।

Digitally signed by RAKHI BHADORIA
Date: 2023.08.08 12:53:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court